Online at: https://researchtrendsjournal.com
Indexed Journal

ISSN No: 2584-282X
Peer Reviewed Journal

INTERNATIONAL JOURNAL OF TRENDS IN EMERGING RESEARCH AND DEVELOPMENT

Volume 3; Issue 4; 2025; Page No. 348-354

Received: 05-04-2025
Accepted: 08-05-2025
Published: 10-07-2025

शिक्षकों की पृष्ठभूमि और उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण रणनीतियों का अध्ययन

[1]Anjalee Khare and [2]Dr. Ravindra Kumar Maurya

[1]Research Scholar, Mahakaushal University, Jabalpur, Madhya Pradesh, India
[2]Professor, Mahakaushal University, Jabalpur, Madhya Pradesh, India

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20110766

Corresponding Author: Anjalee Khare

सारांश

एक अध्ययन में परपसिव सैंपलिंग का इस्तेमाल किया गया, जिसमें पाँच प्राइवेट एलिमेंट्री स्कूल और दस सरकारी स्कूल शामिल थे। स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की जाँच करना मुख्य फोकस था, क्योंकि यह "शिक्षा का अधिकार अधिनियम" का एक ज़रूरी हिस्सा है। स्टडी के हिस्से के तौर पर, स्कूल के मुख्य लोगों को एक क्लोज-एंडेड प्रश्नावली दी गई। नतीजों में स्कूल प्रशासकों और स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों (SMCs) के लिए सफल सीखने के नतीजों के लिए "बच्चों के अनुकूल" माहौल की गारंटी देने में कई मुद्दे सामने आए, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी कमी भी शामिल है। शिक्षकों की पृष्ठभूमि और पढ़ाने के तरीकों के बारे में जानकारी एक खुद बनाए गए टाइमटेबल का इस्तेमाल करके इकट्ठा की गई। स्टडी के नतीजे बताते हैं कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कई मामलों में काफी अंतर है, जैसे कि शिक्षकों की उपलब्धता, छात्र-शिक्षक अनुपात, छात्रों का नामांकन, शैक्षणिक उपलब्धि, बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता, शिक्षण-सीखने के संसाधन, प्रयोगशाला की सुविधाएँ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़।

मूलशब्द: शिक्षकों, पृष्ठभूमि, सरकारी, शिक्षा और छात्रों

प्रस्तावना

शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में साक्षरता दर को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सरकार द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है। हाल ही में, वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट ने एक रिकॉर्ड का उल्लेख किया है कि वर्ष 2022 में 6-14 आयु वर्ग के छात्रों का स्कूल नामांकन प्रतिशत बढ़कर 98.4% हो गया है। जल्द ही, ऐसा समय आना चाहिए जब 100% नामांकन हो। शिक्षा एक शक्तिशाली साधन है जो जन्म से ही शुरू हो जाता है। यह किसी देश के विकास और सफलता का मुख्य घटक है। प्रत्येक महिला, पुरुष, युवा और बच्चे को शिक्षित होने का विकल्प है, जो अन्य आवश्यक मौलिक स्वतंत्रताओं की स्वीकृति का स्रोत है। शिक्षा का अधिकार किसी व्यक्ति की प्रगति के लिए सबसे शक्तिशाली साधन है। भारतीय संविधान के भाग III के तहत स्कूली शिक्षा का अधिकार प्रत्येक बच्चे का एक केंद्रीय अधिकार है। इसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और घोषणाओं में मानक स्वतंत्रता के रूप में माना जाता है।

86वें संशोधन 1, 2002 ने संविधान के भाग III में एक और अनुच्छेद 21-ए को शामिल किया, जिससे आरटीई अधिनियम, 2009 बना, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ और भारत दुनिया के उन 135वें देशों में शामिल हो गया, जिन्होंने शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का आवश्यक अधिकार घोषित किया। आरटीई अधिनियम मुख्य रूप से बच्चों की शिक्षा पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य जागरूकता प्रदान करके प्रत्येक बच्चे को आगे लाना है। दिसंबर 2002 में 86वें संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सीधे एक सिद्धांत बनाया गया था। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009 एक मील का पत्थर है जो शिक्षा को 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बनाता है और प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम मानक निर्धारित करता है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ और भारत उन 135 देशों में से एक बन गया, जिन्होंने शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बनाया है।

भारत के पूरे अस्तित्व में यह पहला मौका था जब देश के प्रधानमंत्री के भाषण के साथ एक और कानून लागू हुआ।
छह से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राथमिक प्रशिक्षण के पूरा होने तक स्थानीय स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का विशेषाधिकार सुरक्षित रखेगा। यह अधिनियम बिना किसी खर्च या शुल्क या लागत के प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त करने और उसे पूरा करने की डिग्री देता है। यह सभी गैर-सरकारी स्कूलों को बच्चों के लिए 25% सीटें रखने की आवश्यकता है। छह वर्ष से अधिक आयु के बच्चे ने किसी भी नियमित कार्यक्रम में प्रवेश नहीं लिया है, अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर सके हैं, तो, उस स्थिति में, उन्हें उनकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। अधिनियम बच्चे को विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का विकल्प देता है यदि उसे सीधे उनकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। अधिनियम यह भी प्रदान करता है कि किसी भी बच्चे को तब तक रोका नहीं जाएगा, हटाया नहीं जाएगा, या बोर्ड मूल्यांकन पूरा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि अधिनियम के तहत प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का प्रावधान न हो।

साहित्य समीक्षा

अख्तर, शहजादा और चिब्ब, मोनिका और नजमाह पीरजादा, डॉ. (2023) [1]। सीखने में कठिनाई और विकलांगता वाले बच्चों के साथ-साथ आम तौर पर बढ़ते बच्चों को एक ही छत के नीचे पढ़ाने की आधुनिक रणनीति को समावेशी शिक्षा के रूप में जाना जाता है। यह हर छात्र को उनकी कमज़ोरियों और खूबियों के बावजूद एक ही कक्षा में लाकर उनकी पूरी क्षमता को साकार करने में सहायता करने का प्रयास करता है। सभी छात्रों के लिए शिक्षा तक समान पहुँच प्रदान करना दुनिया भर के शैक्षणिक संस्थानों के सामने मुख्य चुनौती है, चाहे वे औद्योगिक हों या गरीब देश। पिछले बीस वर्षों में विकलांग बच्चों ने कई कारणों से स्कूलों में काफी अधिक बार दाखिला लिया है, जिसमें अनुकूल कानून और सहायक उपकरणों की बढ़ती उपलब्धता शामिल है। फिर भी, विकलांग बच्चों को मिलने वाली शिक्षा और सीखने की प्रभावशीलता पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। फिर भी प्राथमिक चिंता मुख्यधारा की प्रणाली में आत्मसात करने की है, जो कई चुनौतियों से भरी हुई है। समावेशी शिक्षा में पारंपरिक शैक्षणिक प्रणाली के वातावरण को एक्शन लर्निंग, व्यावहारिक पाठ्यक्रम, उचित मूल्यांकन तकनीकों, बहुस्तरीय शिक्षण दृष्टिकोणों और विभिन्न छात्र आवश्यकताओं पर बेहतर ध्यान देने पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। यह पेपर देश की समावेशी शिक्षा की दिशा में प्रयासों में चुनौतियों और अवसरों से संबंधित है।
अरोड़ा, अर्श. (2021) [2]. भारत में 2050 तक वास्तविक जनसांख्यिकीय विस्फोट की स्थिति तक पहुँचने की उम्मीद है और हमें नए भारत की मजबूत नींव रखनी चाहिए। यह केवल गुणवत्ता से भरपूर और जीवंत शिक्षा प्रणाली के माध्यम से ही संभव है। यह शोध पत्र भारत सरकार द्वारा 2009 में नो डिटेंशन पॉलिसी (NDP) को शामिल किए जाने के बाद भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर केंद्रित है। सवाल उठता है कि जब NDP के लिए रास्ता साफ करने के लिए इस प्रणाली (पास-फेल) को खत्म कर दिया गया था और जब NDP गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मानकों को बढ़ाने में अप्रभावी लग रही थी, तो पास-फेल प्रणाली को वापस क्यों लाया जा रहा है। नीतियों के इस उतार-चढ़ाव से शिक्षा संकट की भावना भी पैदा होती है क्योंकि सरकार और हितधारकों को एक वैकल्पिक समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए जो सभी प्रकार के छात्रों को पूरा करे चाहे वे धीमी गति से या तेजी से सीखने वाले हों, आर्थिक/सामाजिक रूप से पिछड़े हों या मजबूत छात्र हों। इस पत्र में लेखकों ने संरचित प्रश्नावली और इससे प्रभावित या इसमें शामिल सभी हितधारकों के साथ गहन साक्षात्कार के माध्यम से गुणात्मक विश्लेषण करके एनडीपी के प्रभाव की आलोचनात्मक जांच करने का प्रयास किया है और इस गंभीर समस्या का एक अभिनव समाधान देने का भी प्रयास किया है।
आलम, खबीरुल और हलदर, उज्जवल। (2018) [3]। मानवाधिकार उन सभी अधिकारों को कहते हैं जो हमारे मौजूदा समाज में मौजूद हैं। मानवाधिकारों के बिना कोई भी हमारे मौजूदा समाज में इंसान की तरह नहीं रह सकता। मानवाधिकार वे बुनियादी अधिकार हैं जिनसे किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी जाति, नस्ल, लिंग, पंथ, धर्म या किसी भी अन्य पृष्ठभूमि का हो, कहीं भी और किसी भी स्थिति में वंचित नहीं किया जा सकता।
इंदुमति, टी. (2023) [4]. भारत ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है कि विकलांग बच्चों सहित सभी बच्चों को मौलिक शिक्षा अधिकार प्राप्त हों। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (CRPD) को जल्दी अपनाने वाला होने के नाते, भारत विकलांग बच्चों के लिए समावेशी और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने पर जोर देता है। भारत के शैक्षिक अधिदेश का केंद्र समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। यह दृष्टिकोण विभिन्न समूहों को शामिल करता है, जिसमें दूरदराज के समुदायों, अल्पसंख्यकों और विकलांग बच्चों को शामिल किया जाता है, जिन्हें समावेशी कक्षाओं में एकीकृत किया जाता है। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE), सर्वशिक्षा अभियान (SSA) की 'अस्वीकृति नीति' और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता जैसी नीतियाँ इस समावेशी एजेंडे को आगे बढ़ाती हैं। इन नीतियों ने विकलांग बच्चों, जिन्हें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (CWSN) भी कहा जाता है, को उनकी विकलांगता की गंभीरता की परवाह किए बिना मुख्यधारा के स्कूलों में शामिल होने में मदद की है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) भारत में समावेशी शिक्षा से जुड़ी विविध चुनौतियों का समाधान करने के लिए बाल-केंद्रित शिक्षाशास्त्र पर जोर देती है।
एरोवोलो, जी. और एरोवोलो, ए (2024) [5]। नाइजीरिया उन अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय साधनों का एक पक्ष है जो बच्चों के शिक्षा के अधिकार की रक्षा करते हैं, विशेष रूप से बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCRC) और बाल अधिकारों और कल्याण पर अफ्रीकी चार्टर (ACRWC)। इन विधानों के प्रावधानों को नाइजीरिया के बाल अधिकार अधिनियम (CRA) के रूप में अपनाया गया है। इस लेख का उद्देश्य नाइजीरिया में बालिकाओं के शिक्षा के अधिकार के संबंध में इन साधनों द्वारा लगाए गए दायित्वों के साथ नाइजीरिया के अनुपालन की सीमा की जांच करना है। इस लेख में सिद्धांतवादी शोध दृष्टिकोण को अपनाया गया है जो विभिन्न कानूनों और नीतियों के प्रावधानों के विश्लेषण को सक्षम बनाता है। इस लेख में पाया गया कि बच्चों के शिक्षा के अधिकार की रक्षा के लिए प्रचुर कानूनी प्रावधानों के बावजूद, CRA के अपर्याप्त प्रवर्तन, गरीबी, असुरक्षा और स्कूलों पर हमले और लिंग आधारित हिंसा जैसे कई कारकों के कारण नाइजीरिया में लड़कियों को अपने पुरुष समकक्षों की तरह अधिकार का पूरी तरह से आनंद नहीं मिल पा रहा है। इस

लेख में तर्क दिया गया कि बालिकाओं को शिक्षित करना सामाजिक उन्नति का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो न केवल लड़कियों के सशक्तीकरण का प्रतिनिधित्व करता है बल्कि वैश्विक विकास के लिए आधार शिला भी है।

अनुसंधान पद्धति

वर्तमान जांच में प्राथमिक स्तर पर सरकारी और निजी स्कूलों की स्थिति का विश्लेषण शिक्षकों, छात्रों के नामांकन और उनकी शैक्षणिक उपलब्धि, बुनियादी सुविधाओं, सह-पाठयक्रम गतिविधियों, अभिभावक शिक्षक बैठक और मूल्यांकन पैटर्न, शिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली शिक्षण रणनीतियों और सरकारी और निजी स्कूलों के बारे में अभिभावकों के विचारों के संदर्भ में किया गया।

शिक्षकों की पृष्ठभूमि और उनके द्वारा अपनाई गई शिक्षण रणनीतियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए शिक्षकों के लिए एक स्व-विकसित अनुसूची।

शोध में 10 सरकारी और 5 निजी स्कूलों को शामिल किया जाएगा, जिनका चयन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से समान रूप से किया जाएगा।

डेटा विश्लेषण

यह अनुभाग शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यता, शिक्षण अनुभव, पाठ योजना तैयार करना, शिक्षण उद्देश्य निर्धारित करना, पाठ का परिचय, विकासात्मक प्रश्नों का प्रयोग, विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग, शिक्षण विधियां, छात्रों की भागीदारी, छात्रों की समझ का परीक्षण, छात्रों का मूल्यांकन, छात्रों को गृह कार्य देना तथा छात्रों के गृहकार्य की प्रतिदिन जांच करने से संबंधित है।

सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षकों की पृष्ठभूमि

सरकारी एवं निजी विद्यालयों के शिक्षकों की योग्यता एवं अनुभव से संबंधित जानकारी निम्नलिखित तालिकाओं में दी गई है:

तालिका 1: सरकारी और निजी क्षेत्र के सरकारी कर्मचारियों की शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यतानिजी स्कूल शिक्षक

शैक्षिक और व्यवसायिक योग्यता	शिक्षक का प्रकार	
	सरकार (एन=90)	निजी (एन=90)
10+2 जेबीटी के साथ	58 (64.44%)	27 (30.00%)
जेबीटी के साथ स्नातक	13 (14.44%)	22 (24.44%)
बी.एड. के साथ स्नातक	14 (15.56%)	23 (25.56%)
स्नातकोत्तर के साथ बी.एड.	05 (05.56%)	18 (20.00%)

तालिका संख्या 1 सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षकों की शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता को दर्शाती है। सरकारी स्कूलों के 64.44 प्रतिशत शिक्षकों के पास जेबीटी के साथ 12वीं, 14.44 प्रतिशत शिक्षकों के पास स्नातक और जेबीटी, 15.56 प्रतिशत शिक्षकों के पास बी.एड. के साथ स्नातक और 05.56 प्रतिशत के पास बी.एड. के साथ स्नातक की डिग्री थी। दूसरी ओर, निजी स्कूलों के 30.00 प्रतिशत शिक्षकों के पास जेबीटी के साथ 12वीं, 24.44 प्रतिशत शिक्षकों के पास जेबीटी के साथ स्नातक, 25.56 प्रतिशत शिक्षकों के पास बी.एड. के साथ स्नातक और 20.00 प्रतिशत शिक्षकों के पास बी.एड. के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री थी।

तालिका 2: सरकारी एवं निजी स्कूलों के शिक्षकों का शिक्षण अनुभव

शिक्षक का प्रकार	वर्षों का अनुभव			
	0-5	5-10	10-15	15 वर्ष से ऊपर
सरकार (एन=90)	5 (05.56%)	54 (60%)	27 (30%)	4 (04.44%)
निजी (एन=90)	63 (70%)	18 (20%)	9 (10%)	-

तालिका क्रमांक 2 सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षकों के शिक्षण अनुभव को दर्शाती है। सरकारी स्कूलों में 05.56 प्रतिशत शिक्षकों के पास 0-5 वर्ष का शिक्षण अनुभव था, 60.00 प्रतिशत शिक्षकों के पास 5-10 वर्ष का शिक्षण अनुभव था, 30.00 प्रतिशत शिक्षकों के पास 10-15 वर्ष का शिक्षण अनुभव था और 04.44 प्रतिशत शिक्षकों के पास 15 वर्ष से अधिक का शिक्षण अनुभव था। दूसरी ओर, निजी स्कूलों में 70.00 प्रतिशत शिक्षकों के पास 0-5 वर्ष का शिक्षण अनुभव था, 20.00 प्रतिशत शिक्षकों के पास 5-10 वर्ष का शिक्षण अनुभव था, 10.00 प्रतिशत शिक्षकों के पास 10-15 वर्ष का शिक्षण अनुभव था।

सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली शिक्षण रणनीतियाँ

इस अनुभाग का यह भाग शिक्षण के तीन चरणों से संबंधित है:

पूर्व-सक्रिय चरण: पाठ योजना तैयार करने और शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित करने से संबंधित है

अंतर-सक्रिय चरण: इसमें पाठ का परिचय, विकासात्मक प्रश्नों का प्रयोग, विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग, शिक्षण विधियां, छात्रों की भागीदारी, छात्रों की समझ का परीक्षण आदि शामिल हैं।

पोस्ट-एक्टिव चरण: इसमें शिक्षक द्वारा अपनाई गई मूल्यांकन प्रणाली, पाठ का सारांश तैयार करना, छात्रों को गृह कार्य सौंपना तथा छात्रों के गृहकार्य की प्रतिदिन जांच करना शामिल है।

शिक्षण का पूर्व-सक्रिय चरण

पाठ योजना तैयार करना प्रभावी शिक्षण का एक अपरिहार्य कार्य है। शिक्षक पाठ योजना तैयार करते हैं या नहीं, इस संबंध में सरकारी और निजी विद्यालयों के शिक्षकों से एकत्रित आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं:

तालिका 3: सरकारी एवं निजी विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा पाठ योजना तैयार करना

शिक्षक का प्रकार		हमेशा	कभी-कभी	कभी नहीं
सरकार	(एन=90)	7 (7.78%)	8 (8.88)	75 (83.34%)
निजी (एन=90)		9 (10%)	9 (10%)	72 (80%)

तालिका क्रमांक 3 से पता चलता है कि सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षकों ने प्रारंभिक स्तर पर पाठ योजना तैयार की। सरकारी स्कूलों के 07.78 प्रतिशत शिक्षकों ने जवाब दिया कि वे हमेशा पाठ योजना तैयार करते हैं, 08.88 प्रतिशत शिक्षकों ने जवाब दिया कि वे कभी-कभी पाठ योजना तैयार करते हैं और 83.34 प्रतिशत शिक्षकों ने जवाब दिया कि उन्होंने कभी पाठ तैयार नहीं किया। दूसरी ओर, निजी स्कूलों के 10.00 प्रतिशत शिक्षकों ने जवाब

दिया कि वे हमेशा पाठ योजना तैयार करते हैं, 10.00 प्रतिशत शिक्षकों ने जवाब दिया कि वे कभी-कभी पाठ योजना तैयार करते हैं और 80.00 प्रतिशत शिक्षकों ने जवाब दिया कि उन्होंने कक्षा में पढ़ाने से पहले कभी पाठ योजना तैयार नहीं की।

तालिका 4: सरकारी शिक्षकों द्वारा शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण और निजी स्कूल

शिक्षक का प्रकार	हमेशा	कभी-कभी	कभी नहीं
सरकार (एन=90)	27 (30%)	63 (70%)	-
निजी (एन=90)	72 (80%)	18 (20%)	-

तालिका संख्या 4 से पता चलता है कि सरकारी स्कूलों के 30.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि वे हमेशा शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं और 70.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि वे कभी-कभी शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। दूसरी ओर, निजी स्कूलों के 80.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि वे हमेशा शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं और 20.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि वे कभी-कभी शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं।

शिक्षण का अंतः क्रियात्मक चरण

इस खंड का यह भाग परिचयात्मक भाग, शिक्षण सहायक सामग्री और शिक्षकों द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधियों तथा विद्यार्थियों की भागीदारी से संबंधित है।

परिचयात्मक भाग

तालिका 5: सरकारी एवं निजी विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा पाठ का परिचय

शिक्षक का प्रकार	हमेशा	कभी-कभी	कभी नहीं
सरकार (एन=90)	18 (20%)	63 (70%)	9 (10%)
निजी (एन=90)	36 (40%)	5 (60%)	-

तालिका संख्या 5 से पता चलता है कि सरकारी स्कूलों के 20.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि वे हमेशा छात्रों के पिछले ज्ञान का परीक्षण करते हैं, 70.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि वे कभी-कभी पिछले ज्ञान का परीक्षण करते हैं और 10.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि वे कभी भी छात्रों के पिछले ज्ञान का परीक्षण नहीं करते हैं। दूसरी ओर, निजी स्कूलों के 40.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि वे हमेशा छात्रों के पिछले ज्ञान का परीक्षण करते हैं और 60.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि वे कभी-कभी छात्रों के पिछले ज्ञान का परीक्षण करते हैं।

तालिका 6: सरकारी एवं निजी विद्यालयों के शिक्षकों के परिचयात्मक वक्तव्य के साथ पाठ का परिचय

शिक्षक का प्रकार		हमेशा	कभी-कभी	कभी नहीं
सरकार	(एन=90)	18 (20%)	72 (80%)	-
निजी (एन=90)		81 (90%)	9 (10%)	-

तालिका संख्या 6 से पता चलता है कि सरकारी स्कूलों के 20.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि वे हमेशा परिचयात्मक कथन के साथ पाठ की शुरुआत करते हैं और 80.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि वे कभी-कभी परिचयात्मक कथन के साथ पाठ की शुरुआत करते हैं। दूसरी ओर, निजी स्कूलों के 90.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि वे हमेशा परिचयात्मक कथन के साथ पाठ की शुरुआत करते हैं और 10.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि वे कभी-कभी परिचयात्मक कथन के साथ पाठ की शुरुआत करते हैं।

सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली शिक्षण सहायक सामग्री

शिक्षकों द्वारा प्रयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं:

तालिका 7: सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्री

वस्तु नहीं।	शिक्षण में मददगार सामग्री	शिक्षक का प्रकार			
		सरकार (एन=90)		निजी (एन=90)	
		शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण
1	चाक बोर्ड	90 (100%)	-	90 (100%)	-
2	चार्ट	12 (13.33%)	78 (86.67%)	54 (60%)	36 (40%)
3	नक्शा	9 (10%)	81 (90%)	54 (60%)	36 (40%)
4	नमूना	9 (10%)	81 (90%)	63 (70%)	27 (30%)
5	फ़्लैश कार्ड	9 (10%)	81 (90%)	54 (60%)	36 (40%)
6	अबेकस	15 (16.67%)	75 (83.33%)	72 (80%)	18 (20%)
7	वास्तविक वस्तुएं	17 (18.89%)	73 (81.11%)	72 (80%)	18 (20%)
8	ग्लोब	18 (20%)	72 (80%)	54 (60%)	36 (40%)
9	चित्र	9 (10%)	81 (90%)	63 (70%)	27 (30%)
10	प्रक्षेपक	-	90 (100%)	54 (60%)	36 (40%)
11	मल्टी मीडिया	-	90 (100%)	54 (60%)	36 (40%)

तालिका संख्या 7 सरकारी एवं निजी विद्यालयों में शिक्षण के दौरान शिक्षकों द्वारा प्रयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री को दर्शाती है।

मद संख्या 1 से पता चलता है कि सरकारी और निजी दोनों स्कूलों के 100 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि वे चाक बोर्ड का उपयोग करते हैं।

मद संख्या 2 से पता चलता है कि सरकारी स्कूलों के 13.33.00 प्रतिशत शिक्षकों ने जवाब दिया कि उन्होंने शिक्षण के दौरान चार्ट का उपयोग किया, लेकिन सरकारी स्कूलों के 86.67 प्रतिशत शिक्षकों ने जवाब दिया कि उन्होंने शिक्षण के दौरान चार्ट का उपयोग नहीं किया। दूसरी ओर, निजी स्कूलों में, निजी स्कूलों के 60.00 प्रतिशत शिक्षकों ने जवाब दिया कि उन्होंने शिक्षण के दौरान चार्ट का उपयोग किया और निजी स्कूलों के 40.00 प्रतिशत शिक्षकों ने जवाब दिया कि उन्होंने शिक्षण के दौरान चार्ट का उपयोग नहीं किया।

मद संख्या 3 से पता चलता है कि सरकारी स्कूलों के 10.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि उन्होंने शिक्षण के दौरान मानचित्र का उपयोग किया तथा सरकारी स्कूलों के 90.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि उन्होंने शिक्षण के दौरान मानचित्र का उपयोग नहीं किया। दूसरी ओर, निजी स्कूलों के 60.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि उन्होंने शिक्षण के दौरान मानचित्र का उपयोग किया तथा निजी स्कूलों के 40.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि उन्होंने शिक्षण के दौरान मानचित्र का उपयोग नहीं किया।

मद संख्या 4 से पता चलता है कि सरकारी स्कूलों के 10.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि उन्होंने शिक्षण के दौरान मॉडल का उपयोग किया तथा सरकारी स्कूलों के 90.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि उन्होंने शिक्षण के दौरान मॉडल का उपयोग नहीं किया। दूसरी ओर निजी स्कूलों के 70.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि उन्होंने शिक्षण के दौरान मॉडल का उपयोग किया तथा निजी स्कूलों के 30.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि उन्होंने शिक्षण के दौरान मॉडल का उपयोग नहीं किया।

मद संख्या 5 से पता चलता है कि सरकारी स्कूलों के 10.00 प्रतिशत शिक्षकों ने जवाब दिया कि उन्होंने शिक्षण के दौरान फ्लैश कार्ड का उपयोग किया और सरकारी स्कूलों के 90.00 प्रतिशत शिक्षकों ने जवाब दिया कि उन्होंने शिक्षण के दौरान फ्लैश कार्ड का उपयोग नहीं किया। दूसरी ओर निजी स्कूलों के 60.00 प्रतिशत शिक्षकों ने जवाब दिया कि उन्होंने शिक्षण के दौरान फ्लैश कार्ड का उपयोग किया और निजी स्कूलों के 40.00 प्रतिशत शिक्षकों ने जवाब दिया कि उन्होंने शिक्षण के दौरान फ्लैश कार्ड का उपयोग नहीं किया।

मद संख्या 6 से पता चलता है कि सरकारी स्कूलों के 16.67 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि उन्होंने शिक्षण के दौरान अबेकस का उपयोग किया और सरकारी स्कूलों के 83.33 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि उन्होंने शिक्षण के दौरान अबेकस का उपयोग नहीं किया। दूसरी ओर, निजी स्कूलों के 80.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि उन्होंने अबेकस का उपयोग किया और निजी स्कूलों के 20.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि उन्होंने शिक्षण के दौरान अबेकस का उपयोग नहीं किया।

मद संख्या 7 से पता चलता है कि सरकारी स्कूलों के 18.89 प्रतिशत शिक्षकों ने जवाब दिया कि उन्होंने शिक्षण के दौरान वास्तविक वस्तुओं का उपयोग किया और सरकारी स्कूलों के 81.11 प्रतिशत शिक्षकों ने जवाब दिया कि उन्होंने शिक्षण के दौरान वास्तविक वस्तुओं का उपयोग नहीं किया। दूसरी ओर, निजी स्कूलों के 80.00 प्रतिशत शिक्षकों ने जवाब दिया कि उन्होंने शिक्षण के दौरान वास्तविक वस्तुओं का उपयोग किया और निजी स्कूलों के 20.00 प्रतिशत शिक्षकों ने जवाब दिया कि उन्होंने शिक्षण के दौरान वास्तविक वस्तुओं का उपयोग नहीं किया।

मद संख्या 8 से पता चलता है कि सरकारी स्कूलों के 20.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि उन्होंने शिक्षण के दौरान ग्लोब का उपयोग किया और सरकारी स्कूलों के 80.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि उन्होंने शिक्षण के दौरान ग्लोब का उपयोग नहीं किया। दूसरी ओर, निजी स्कूलों के 60.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि उन्होंने ग्लोब का उपयोग किया और निजी स्कूलों के 40.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि उन्होंने शिक्षण के दौरान ग्लोब का उपयोग नहीं किया।

मद संख्या 9 से पता चलता है कि सरकारी स्कूलों के 10.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि उन्होंने शिक्षण के दौरान चित्रों का उपयोग किया तथा सरकारी स्कूलों के 90.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि उन्होंने शिक्षण के दौरान चित्रों का उपयोग नहीं किया। दूसरी ओर, निजी स्कूलों के 70.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि उन्होंने शिक्षण के दौरान चित्रों का उपयोग किया तथा निजी स्कूलों के 30.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि उन्होंने शिक्षण के दौरान चित्रों का उपयोग नहीं किया।

मद संख्या 10 से पता चलता है कि सरकारी स्कूलों के 100 प्रतिशत शिक्षकों ने जवाब दिया कि उन्होंने अध्यापन के दौरान प्रोजेक्टर का उपयोग नहीं किया। दूसरी ओर, निजी स्कूलों के 60.00 प्रतिशत शिक्षकों ने जवाब दिया कि उन्होंने अध्यापन के दौरान प्रोजेक्टर का उपयोग किया तथा निजी स्कूलों के 40.00 प्रतिशत शिक्षकों ने जवाब दिया कि उन्होंने अध्यापन के दौरान प्रोजेक्टर का उपयोग नहीं किया।

मद संख्या 11 से पता चलता है कि सरकारी स्कूलों के 100 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि उन्होंने शिक्षण के दौरान मल्टीमीडिया का उपयोग नहीं किया, जबकि निजी स्कूलों के 60.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि उन्होंने शिक्षण के दौरान मल्टीमीडिया का उपयोग किया और निजी स्कूलों के 40.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि उन्होंने शिक्षण के दौरान मल्टीमीडिया का उपयोग नहीं किया।

सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली शिक्षण विधियाँ

शिक्षण एक संवादात्मक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम शामिल होते हैं। विषय की विभिन्न विषय-वस्तु और शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत अंतर के कारण, बच्चों को ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए शिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों की आवश्यकता होती है। यह जानने के लिए कि शिक्षकों ने शिक्षण के दौरान अलग-अलग शिक्षण विधियों का उपयोग किया या नहीं, डेटा एकत्र किया गया और निम्न तालिका में दिखाया गया:

तालिका 8: सरकारी और निजी शिक्षकों द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधियाँ स्कूलों

सीनियर नहीं।	शिक्षण विधियाँ	शिक्षक का प्रकार			
		सरकार (संख्या=90)		निजी (नंबर = 90)	
		शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण
1	व्याख्यान-सह-प्रदर्शन विधि (एलडीएम)	81 (90%)	9 (10%)	90 (100%)	-
2	प्ले वे विधि	27 (30%)	63 (70%)	72 (80%)	18 (20%)
3	परियोजना विधि	18 (20%)	72 (80%)	81 (90%)	9 (10%)
4	कहानी कहने की विधि	27 (30%)	63 (70%)	63 (70%)	27 (30%)
5	समूह चर्चा विधि	18 (20%)	72 (80%)	63 (70%)	27 (30%)
6	प्रश्न उत्तर विधि	36 (40%)	54 (60%)	72 (80%)	18 (20%)

तालिका संख्या 8 सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली शिक्षण विधियों को दर्शाती है।

मद संख्या 1 से पता चलता है कि सरकारी स्कूलों के 90.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि उन्होंने व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि का उपयोग किया और सरकारी स्कूलों के 10.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि उन्होंने व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि का उपयोग नहीं किया। दूसरी ओर, निजी स्कूलों के 100 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि उन्होंने व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि का उपयोग किया।

मद संख्या 2 से पता चलता है कि सरकारी स्कूलों के 30.00 प्रतिशत शिक्षकों ने जवाब दिया कि वे प्ले वे विधि का उपयोग करते हैं और सरकारी स्कूलों के 70.00 प्रतिशत शिक्षकों ने जवाब दिया कि वे प्ले वे विधि का उपयोग नहीं करते हैं। दूसरी ओर निजी स्कूलों के 80.00 प्रतिशत शिक्षकों ने जवाब दिया कि वे प्ले वे विधि का उपयोग करते हैं और निजी स्कूलों के 20.00 प्रतिशत शिक्षकों ने जवाब दिया कि वे प्ले वे विधि का उपयोग नहीं करते हैं।

मद संख्या 3 से पता चलता है कि सरकारी स्कूलों के 20.00 प्रतिशत शिक्षकों ने जवाब दिया कि उन्होंने प्रोजेक्ट विधि का उपयोग किया और सरकारी स्कूलों के 80.00 प्रतिशत शिक्षकों ने जवाब दिया कि उन्होंने प्रोजेक्ट विधि का उपयोग नहीं किया। दूसरी ओर निजी स्कूलों के 90.00 प्रतिशत शिक्षकों ने जवाब दिया कि उन्होंने प्रोजेक्ट विधि का उपयोग किया और निजी स्कूलों के 10.00 प्रतिशत शिक्षकों ने जवाब दिया कि उन्होंने प्रोजेक्ट विधि का उपयोग नहीं किया।

मद संख्या 4 से पता चलता है कि सरकारी स्कूलों के 30.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि वे कहानी सुनाने की विधि का उपयोग करते हैं और सरकारी स्कूलों के 70.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि वे कहानी सुनाने की विधि का उपयोग नहीं करते हैं। दूसरी ओर निजी स्कूलों के 70.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि वे कहानी सुनाने की विधि का उपयोग करते हैं और निजी स्कूलों के 30.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि वे कहानी सुनाने की विधि का उपयोग नहीं करते हैं।

मद संख्या 5 से पता चलता है कि सरकारी स्कूलों के 20.00 प्रतिशत शिक्षकों ने जवाब दिया कि उन्होंने समूह चर्चा पद्धति का उपयोग किया और सरकारी स्कूलों के 80.00 प्रतिशत शिक्षकों ने जवाब दिया कि उन्होंने समूह चर्चा पद्धति का उपयोग नहीं किया। दूसरी ओर निजी स्कूलों के 70.00 प्रतिशत शिक्षकों ने जवाब दिया कि उन्होंने समूह चर्चा पद्धति का उपयोग किया और निजी स्कूलों के 30.00 प्रतिशत शिक्षकों ने जवाब दिया कि उन्होंने समूह चर्चा पद्धति का उपयोग नहीं किया।

मद संख्या 6 से पता चलता है कि सरकारी स्कूलों के 40.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि उन्होंने प्रश्न उत्तर विधि का उपयोग किया तथा सरकारी स्कूलों के 60.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि उन्होंने प्रश्न उत्तर विधि का उपयोग नहीं किया। दूसरी ओर, निजी स्कूलों के 80.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि उन्होंने प्रश्न उत्तर विधि का उपयोग किया तथा निजी स्कूलों के 20.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि उन्होंने प्रश्न उत्तर विधि का उपयोग नहीं किया।

तालिका 9: सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षकों द्वारा कक्षा में नवीन तरीकों का उपयोग

शिक्षक का प्रकार	हमेशा	कभी-कभी	कभी नहीं
सरकार (एन=90)	9 (10%)	-	81 (90%)
निजी (एन=90)	63 (70%)	9 (10%)	18 (20%)

तालिका संख्या 9 से पता चलता है कि सरकारी स्कूलों के 10.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि उन्होंने कक्षा में हमेशा नवीन शिक्षण विधियों का उपयोग किया है और 90.00 प्रतिशत शिक्षकों ने कक्षा में कभी भी नवीन शिक्षण विधियों का उपयोग नहीं किया है। दूसरी ओर, निजी स्कूलों के 70.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि उन्होंने कक्षा में हमेशा नवीन शिक्षण विधियों का उपयोग किया है, निजी स्कूलों के 10.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि उन्होंने कभी-कभी नवीन शिक्षण विधियों का उपयोग किया है और निजी स्कूलों के 20.00 प्रतिशत शिक्षकों ने उत्तर दिया कि उन्होंने कक्षा में कभी भी नवीन शिक्षण विधियों का उपयोग नहीं किया है।

निष्कर्ष

सरकारी संस्थानों द्वारा ट्यूशन फीस लेने की मुश्किल के अलावा, इंस्ट्रक्टरों का देर से आना भी एक आम चिंता है। सरकारी स्कूलों द्वारा मिड-डे मील के नियमों की अनदेखी करने से बच्चों के पोषण संबंधी स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं जताई जाती हैं। अध्ययन के नतीजों से पता चलता है कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कई मामलों में काफी अंतर है, जैसे शिक्षकों की उपलब्धता, छात्र-शिक्षक अनुपात, छात्रों का एडमिशन, पढ़ाई में परफॉर्मेंस, बेसिक सुविधाओं की उपलब्धता, पढ़ाने-सीखने के संसाधन, लैब की सुविधाएं और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़। नतीजे बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, छात्र-शिक्षक अनुपात, एडमिशन और पढ़ाने-सीखने के माहौल के मामले में प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूलों से बेहतर हैं। इसके अलावा, माता-पिता भी इस बात से सहमत थे कि प्राइवेट स्कूल हर तरह से सरकारी स्कूलों से बेहतर हैं। एक खास सैंपल सर्वे में दस सरकारी और पांच प्राइवेट प्राइमरी स्कूलों ने हिस्सा लिया। स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच करना, जो शिक्षा के अधिकार कानून का एक ज़रूरी हिस्सा है, मुख्य फोकस था।

संदर्भ

1. अख्तर, शहजादा और चिब्ब, मोनिका और नजमा पीरजादा, डॉ. । समावेशी शिक्षा: चुनौतियाँ और अवसर। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी। 2023, 11. 10.25215/1103.229।
2. अरोड़ा अर्श. "शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विश्लेषण, नो डिटेंशन पॉलिसी पर विशेष ध्यान देते हुए"।, 2021.
3. आलम खबीरुल, हलदर उज्जवल. भारत में मानवाधिकार और शिक्षा का अधिकार।. 2018;5:2183-2186.
4. इंदुमति टी. भारत में समावेशी शिक्षा की वर्तमान स्थिति. शांलैक्स इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़. 2023;11:47-52. 10.34293/sijash.v11iS1i2-Nov.7315.

5. एरोवोलो जी, एरोवोलो ए. नाइजीरिया में बच्चों का शिक्षा का अधिकार: बालिकाओं के लिए चुनौतियाँ और संभावनाएँ। अफ्रीकी जर्नल ऑफ़ लॉ, पॉलिटिकल रिसर्च एंड एडमिनिस्ट्रेशन। 2024;7:77-94. 10.52589/AJLPRA-EGVV3QKT.
6. सिंघल निधि. भारत और पाकिस्तान में विकलांग बच्चों की शिक्षा: पिछले 15 वर्षों में विकास का महत्वपूर्ण विश्लेषण. प्रोस्पेक्ट्स. 2016. 10.1007/s11125-016-9383-4.
7. सेहरावत मीना, रॉय एम. स्कूल प्रबंधन समिति की अपेक्षित भूमिकाएँ और कार्य: प्रभावी कामकाज के लिए एक जाँच। साउथ एशियन जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़। 2021;02:79-92. 10.48165/sajssh.2021.2107।
8. पार्वथम्मा जी. एल. भारत में बाल श्रम - एक संकल्पनात्मक और वर्णनात्मक अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस इन्वेंशन-जनवरी। 2015. http://www.ijhssi.org/papers/v4(1)/Version-2/D0412023032.pdf
9. चंद्रप्पा. शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) - प्रारंभिक शिक्षा शिक्षा प्रणाली की रीढ़, 2014. http://www.irosss.org/ojs/index.php/IJAESS/article/download/283/95 IJAESS (2014) खंड 2.
10. उमा. शिक्षा का अधिकार (RTE): एक आलोचनात्मक मूल्यांकन(IOSR जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस (JHSS) (जनवरी - फरवरी 2013), 2013.
11. मोना कौशल. भारत में शिक्षा के अधिकार का कार्यान्वयन: मुद्दे और चिंताएँ (जर्नल ऑफ़ मैनेजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी, खंड 4, संख्या 1, दिसंबर 2012), 2012.
12. अहमद, अहमद. ग्वालियर में छात्र-शिक्षक अनुपात और बुनियादी ढांचे के विशेष संदर्भ में आरटीई अधिनियम, 2009 पर अध्ययन। विज्ञान, संचार और प्रौद्योगिकी में उन्नत अनुसंधान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 2022, 2(1). www.iyarset.co.in
13. चंद्रप्पा एस. के. । शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) - प्राथमिक शिक्षा: शिक्षा प्रणाली की रीढ़। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांसमेंट इन एजुकेशन एंड सोशल साइंसेज. 2014;2(1):16-20.
14. चौधरी के. पर्यावरण जागरूकता और संरक्षण में औपचारिक और अनौपचारिक शैक्षिक एजेंसियों की अनिवार्य भूमिका का अध्ययन करना। डॉक्टरल थीसिस, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी, 2015. http://hdl.handle.net/10603/66691.
15. दास लक्षहिरा. शिक्षा की एक पाठ्यपुस्तक। एनसीईआरटी। देबबर्मा, के. । निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ: कर्नाटक पर विशेष ध्यान देते हुए भारत का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण। वित्तीय नीति संस्थान, बैंगलोर के अंतर्गत परियोजना रिपोर्ट, 2011, 1-73. www. fpibangalore.gov. in/design/styles2/files/AcademicReports/khumtiya%20

Creative Commons (CC) License
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.